रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

भारत सरकार का उपक्रम

पंजीकृत कार्यालय कोर-4, स्कोप कंप्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाषः 24365161 और 51020101 फैक्स 24360644 ग्राम आरईसीटीआरआईसी

ई-मेलः reccorp@recl.nic.in वेबसाइटः www.recindia.com, www.recindia.nic.in

संदर्भ सं.आरईसी/वित्त/बाँडस/2010-11 दिनांकः 11.08.2011

सेवा में,

विषयः आरईसी द्वारा वर्ष 2010-11 के अंतिम लाभांश की अदायगियों के लिए पेयी बैंकर की नियुक्ति।

प्रिय महोदय/महोदया

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक नवरत्न सरकारी क्षेत्रक उपक्रम है। आरईसी विद्युत क्षेत्र के लिए एक समर्पित वित्तीय संस्था है। आरईसी को क्रिसिल, केयर, फिच और इकरा से एएए की रेटिंग प्राप्त है।

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 40 प्रतिशत अंतिम लाभांश दिए जाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके संबंध में दिनांक 17.09.2011 को आयोजित की जाने वाली वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन वर्ष 2010-11 के अंतिम लाभांश की अदायगी के लिए पेयी बैंकर (बैंकरों) की नियुक्ति करना चाहता है। लाभांश खाते में दिनांक 21.09.2011 को पैसे डाले जाने का प्रस्ताव है और इसकी अदायगी की तारीख 28.09.2011 है।

पैयी बैंकों के लिए मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:

संबंधित बैंक की पूरे भारत में कम से कम 100 स्थानों पर शाखाएं होनी चाहिए। बैंक द्वारा इस आशय का एक प्रमाणपत्र एक अलग लिफाफे में दिया जाएगा। उपर्युक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने वाले बैंकों की कोटेशनों पर लाभांश आदाता बैंकर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इस लिफाफे के ऊपर "लाभांश आदाता बैंकर के लिए मुख्य शर्तें" लिखा जाएगा।

पेयी बैंक के लिए अन्य शर्तें

i. संबंधित बैंक को सेबी द्वारा लाभांश की अदायगी के लिए पेयी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत होना चाहिए।

ii. कारपोरेशन, आरईसी लाभांश खाते में जमा करने के लिए आरटीजीएस/निधि अंतरण के माध्यम से नियत तारीख को लाभांश की रकम जमा कर देगा।

iii. लाभांश की रकम एनईसीएस/आरटीजीएस के माध्यम से और वारंटों के माध्यम से निवेशकों को प्रेषित की जाएगी। यदि एनईसीएस/आरटीजीएस नामंजूर हो जाता है तो बैंक को अगले कार्य दिवस पर इसकी सूचना आरईसी को देनी होगी।

iv. आरईसी कम से कम एक कार्य दिवस पहले बैंक को यथास्थिति निवेशकों के विवरण यथा निवेशक का नाम, निवेशक का बैंक और उसका पता, खाता संख्या, एमआईसीआर संख्या या आईएफसीएस कोड उपलब्ध कराएगा।

v. जारी किए जाने वाला लाभांश वारंट बैंक द्वारा शेयरधारकों को सभी स्थानों पर सममूल्य पर देय होगा।

vi. आरईसी कारपोरेशन द्वारा इस प्रकार जारी किए गए लाभांश वारंटों का विवरण लाभांश अदायगी की तारीख से पहले बैंक को उपलब्ध कराएगा।

vii. शेयरधारकों को जारी किए जाने के लिए बैंक द्वारा पन्ने के रूप में (दो हिस्सों वाला एक पन्ना) में चैक/लाभांश वारंट उपलब्ध कराया जाएगा। शेयरधारकों को केवल 'आदाता के खाते में' जमा किए जाने वाला और 'अपरक्राम्य' वारंट जारी किया जाएगा।

viii. बैंक पाक्षिक आधार पर निगम को एक बैंक विवरण देगा जिसमें अदायगी के लिए प्रस्तुत किए गए वारंटों का विवरण दर्शाया जाएगा।

ix. बैंक कारपोरेशन को मासिक आधार पर एक मिलान विवरण भी प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा-

1. प्रत्येक वारंट की रकम सहित अदा किए गए वारंटों की संख्या की तारीख-वार सूची।

2. ऐसे प्रत्येक वारंट की रकम सहित वारंटों की संख्या जो प्रति माह अदायगी के लिए शेष हों।

x. आरईसी द्वारा जमा की गई रकम और बैंक द्वारा अदा की गई रकम के मिलान को दर्शाने वाला विवरण और इस प्रकार जो रकम निकलती है, वह अदा न की गई राशि के अनुरूप होगी।

xi. आरईसी को यह अधिकार होगा कि वह पुराने वारंटों को पुनः वैध बना सकता है।

यदि आपका बैंक उपर्युक्त शर्तों पर आदाता बैंक के रूप में कार्य करने का इच्छुक हो, तो आपसे अनुरोध है कि आप उल्लेख की गई मुख्य शर्तों ड्डद्म् अनुसार एक लिफाफे के अलावा, एक लिफाफे के ऊपर "पेयी बैंक के लिए कोटेशन" लिखकर बंद लिफाफे में अपने कोटेशन **26 अगस्त, 2011 (2.30 बजे अपराह्न)** तक उपर्युक्त पते पर अधोहस्ताक्षरी को अवश्य भेज दें। आपके कोटेशन की विधिमान्य अवधि अंतिम तारीख से 30 दिन तक होनी चाहिए। आपके बैंक का प्राधिकृत प्रतिनिधि बोलियां खोलने के समय अर्थात दिनांक **26 अगस्त, 2011 के 2.45 बजे अपराह्न** उपस्थित रह सकता है। कोटेशन अनुबंध-क में दिए गए फार्मेट में होने चाहिए। अन्य विवरण अनुबंध-ख में दिए जाएंगे।

आरईसी को यह अधिकार होगा कि वह कोई भी कारण बताए बिना इस प्रस्ताव (प्रस्तावों) को स्वीकार/अस्वीकार कर सकता है।

किसी और स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित अधिकारी से संपर्क किया जा सकता हैः

श्री कौशल पुरी, मुख्य प्रबंधक (वित्त), मोबाइल नं.9899896437

धन्यवाद

भवदीय,

(राजीव सूद)
उप महाप्रबंधक (वित्त)
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

अनुबंध-क

वर्ष **2010-11** के अंतिम लाभांश की अदायगी करने के लिए कोटेशन

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

हमारा बैंक अंतिम लाभांश की अदायगी के लिए आरईसी लिमिटेड द्वारा खर्च किए जा रहे मुद्रण/अनुमुद्रण लिफाफों, लेखनसामग्री, डाक/प्रेषण आदि से संबंधित व्यय के रूप में आरईसी लिमिटेड को .... । रुपए की प्रतिपूर्ति करने को तैयार है।

। रकम बैंक द्वारा भरी जाएगी।

बैंक का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम :

पदनाम :

संपर्क विवरणः

अनुबंध-ख

सुविधा/प्रभार

क्रम सं.	ब्योरे	सूचना बैंक द्वारा भरी जानी है।
1.	खाता खोलने के लिए न्यूनतम शेष	
2.	नामित बैंक की शाखा, जिससे आरईसी के कार्यालय के 10 किलोमीटर के अंदर आदाता बैंक खाते के नियंत्रण के लिए संपर्क किया जा सकता है	
3.	उस व्यक्ति का विवरण जिससे संपर्क किया जा सकता है	
4.	एमआईसीआर लेखनसामग्री के मुद्रण के प्रभार, यदि कोई हों	
5.	'अदायगी रोको' प्रभार, यदि कोई हों	
6.	आरसीए/एमसीए/लेन-देन प्रभार या सेवा प्रभार आदि जैसे कोई अन्य प्रभार	
7.	शाखा न होने की स्थिति में डिमांड ड्राफ्ट और उसके प्रभार, यदि कोई हों	
8.	एनईसीएस/आरटीजीएस सुविधाएं और उनके प्रभार, यदि कोई हों	
9.	मासिक मिलान विवरण या जब कभी मांगा जाए, उस समय अदा किए गए और अदा न किए गए आंकड़ों की सूची कारपोरेशन को उपलब्ध कराना और उसके लिए प्रभार, यदि कोई हों	
10.	बैंक खाता खोलने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	
11.	पेयी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सेबी का प्राधिकार पत्र	
12.	विधिमान्य तारीख की समाप्ति के बाद वारंटों की अदायगी को पुनः विधिमान्य करना, यह स्वीकार्य है या नहीं ?	
13.	अन्य (कोई अन्य सुविधा या लाभ जो बैंक देना चाहता हो)	

। **टिप्पणीः** बैंक से अनुरोध है कि वह सूचना वाले कॉलम में पूरा विवरण दें (यदि आवश्यक हो तो कृपया अतिरिक्तपन्ना लगाएं।